रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

( अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता )

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, भरतपुर, .....थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2023...
प्र. इ. रि. स. 255/23 दिनांक 21/9/2023

2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 . .धारायें...**7**
(ब) अधिनियम ........... ....धारायें....
(स) अधिनियम ....धारायें....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 431 समय 6:40 pm
(ब) अपराध घटने का दिन–दि.–मंगलवार / 21.08.2023 / 02.00 पीएम ...
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 21.08.2023 समय. 12.55 पीएम....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम सारस चौराहा भरतपुर ।
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – पूर्व दूरी करीब 2 कि0मी0 ..............
(ब) पता – ....बीट सख्या .......जरायमदेहीसं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना..............जिला.......

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम **श्री विक्रम सिंह**
(ब) पिता / पति का नाम श्री महावीर सिंह जाति नाई......(स) जन्म तिथि / वर्ष 30 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
(य) पासपोर्ट सख्या ...........जारी होने की तिथी............जारी होने की जगह....
(र) व्यवसाय...... ।
(ल) पता....ग्राम अघापुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

**1– पवन कुमार पुत्र श्री संतोष कुमार उम्र 34 साल निवासी सूरज पोल गेट के पास, मोहल्ला गोपालगढ भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट जिला भरतपुर हाल तकनीकी सहायक द्वितीय फीडर अघापुर कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम सारस भरतपुर।**

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि ....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या ( अगर हो तो )........
....3,000 / –रू0 रिश्वत राशि ....

11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .............नहीं....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट ( अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये )....

सेवामें, श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर विषय-- रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै विक्रम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जाति नाई उम्र 30 साल निवासी अघापुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर का रहने वाला हूं मेरे मकान पर मेरे पिता जी महावीर सिंह के नाम से विद्युत मीटर लगा हुआ था जो करीबन 5–6 महिने पहले जल गया था जिसको बदलने के लिये मैने एईएन सारस भरतपुर को प्रार्थना पत्र किया था इसके बाद मेरे पिता जी के नामं विद्युत मीटर इश्यू हो गया और करीबन 1 महिने पहले विद्युत मीटर हमारे घर पर आ गया। मैने हमारे फीडर के लाईन मैन पवन सिंह से मीटर लगाने हेतु कहा तो उसने मुझे बताया कि मीटर लगाने के 5000 रूपये लगेगें इसके बाद ही मीटर लगेगा। हम मीटर के अभाव में अधेंरे मे रहने को मजबूर है मै पवन सिंह लाईन मैन को रिश्वत में 5000 रूपये नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी पवन सिंह लाईन मैन से कोई रंजिश व पुराना लेन देन नहीं है कार्यवाही करने की कृपा करें प्रार्थी विक्रम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जाति नाई उम्र 30 साल निवासी अघापुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर राज0 मो0 9079983259 एसडी विक्रम सिंह 21.08.2023 एसडी महेश मीणा

अति0 पुलिस अधीक्षक 21.08.2023 एसडी केशव सिंह 22.08.2023, एसडी जसवंत सिंह 22.08.2023

**<u>कार्यवाही पुलिस</u>**

**<u>दिनांक 21.08.2023 समय – 12.55 पीएम, एसीबी एसयू भरतपुर</u>**

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जाति नाई उम्र 30 साल निवासी अघापुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि मेरे मकान पर मेरे पिता जी महावीर सिंह के नाम से विद्युत मीटर लगा हुआ था जो करीबन 5–6 महिने पहले जल गया था जिसको बदलने के लिये मैने एईएन सारस भरतपुर को प्रार्थना पत्र किया था इसके बाद मेरे पिता जी के नाम विद्युत मीटर इश्यू हो गया और करीबन 1 महिने पहले विद्युत मीटर हमारे घर पर आ गया। मैने हमारे फीडर के लाईन मैन पवन सिंह से मीटर लगाने हेतु कहा तो उसने मुझे बताया कि मीटर लगाने के 5000 रूपये लगेगें इसके बाद ही मीटर लगेगा। हम मीटर के अभाव में अधेंरे मे रहने को मजबूर है मै पवन सिंह लाईन मैन को रिश्वत में 5000 रूपये नहीं देना चाहता हूं रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरी पवन सिंह लाईन मैन से कोई रंजिश व पुराना लेन देन नहीं है। उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो तहरीरी रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से समय 01.15 पी.एम. पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय के मालखाना से श्री परसराम कानि0 203 कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से निकलवाकर परिवादी श्री विक्रम सिंह को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री गोकुलेश कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी विक्रम सिंह को आरोपी के जाने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर ज्यों का त्यों सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं कानि0 गोकुलेश को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से सहायक अभियंता कार्यालय जयपुर डिस्काम सारस भरतपुर के लिए रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर श्री गोकुलेश कानि. मय परिवादी विक्रम सिंह के रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी विक्रमसिंह ने बताया कि आरोपी श्री पवन सिंह लाईनमैन से मेरी वार्ता हो गई है उसने मेरे से मेरे पिता जी श्री महावीर सिंह के नाम विद्युत मीटर लगाने की एवज में 3000 रूपये रिश्वत के रूप में मांगे हैं मैंने पवन सिंह लाईनमैन से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी द्वारा बतायी गई उपरोक्त वार्ता सही पायी गई। परिवादी ने बताया कि पवन सिह तकनीकी सहायक ने कल दिनांक 22.08.2023 को बुलाया है तथा परिवादी ने बताया कि मेरे ताउ जी की तबीयत अधिक खराब है मै कल दिनांक 22.08.2023 को सुबह उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता रखते की आवश्यक हिदायत देकर दिनांक 22.08.2023 को समय 10.00 एएम पर रिश्वत राशि 3,000 रूपये के साथ उपस्थित होने हेतु समझाईस कर रूखसत किया वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया जाकर बाद हस्ताक्षर फर्द शामिल पत्रावली की गई तत्पश्चात दिनांक 22.08.2023 समय 09.30 ए.एम. पर कार्यवाही हाजा में स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 को अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर के पद नाम तहरीर जारी कर दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर रवाना किया गया। इसके बाद समय 10.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी विक्रम सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसने बताया कि आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 3000 रूपये लेकर आया हूं परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय में बिठाया गया। समय 10.15 ए.एम. पर श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 106 उपरोक्त फिकरावाला का रवाना शुदा दो स्वतंत्र गवाहान के वापस चौकी आया मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने

स्वयं का परिचय देकर उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान से उनका परिचय पूछा गया तो उन्होने अपना श्री केशव देव शर्मा पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 28 साल निवासी ग्राम अवार पुलिस थाना कुम्हेर जिला डीग हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर व जसवंत सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति जाटव उम्र 28 साल निवासी वार्ड नं0 17 नदबई पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर होना बताया परिवादी पूर्व से ही कार्यालय में उपस्थित था। गवाहान का परिचय परिवादी श्री विक्रम सिंह से करवाया जाकर उसके द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की लिखित रिपोर्ट को स्वतन्त्र गवाहान को पढकर सुनाया, दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की अनुमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक रूप से स्वीकृति दी तथा प्रमाण स्वरूप स्वतन्त्र गवाहान द्वारा लिखित रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.20 ए.एम. पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 21.08.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैस वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात _समय 10.35 ए.एम. पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी विक्रम सिंह एवं आरोपी पवन सिंह तकनीकी सहायक के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को कम्प्यूटर में सेव किया गया। रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकाल कर एक खाली माचिस की डिब्बी रख कर माचिस की डिब्बी को कपडे की थैली में रखवाया जाकर थैली को शील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "एम" अंकित किया जाकर मूल व मुल्जिम सीडी व मैमोरी कोर्ड को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री परसराम कानि0 203 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.50 पी.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता की सीडी जिसमें दिनांक 21.08.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश वैल्यू निकाली जाकर हैस वैल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 12.30 पी. एम. पर उपरोक्त मौतविरान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह जाति नाई उम्र 30 साल निवासी अघापुर पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 06 नोट पांच पांच सौ रूपये के कुल 3,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

| क्र.सं. | नोट का प्रकार | नोटों के नम्बर |
|---|---|---|
| 1 | एक नोट पांच सौ रूपये का | 4 UT 599498 |
| 2 | एक नोट पांच सौ रूपये का | 4 UT 599499 |
| 3 | एक नोट पांच सौ रूपये का | 4 UT 599500 |
| 4 | एक नोट पांच सौ रूपये का | 4 UT 599501 |
| 5 | एक नोट पांच सौ रूपये का | 4 UT 599502 |
| 6 | एक नोट पांच सौ रूपये का | 4 UT 599503 |

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर श्री रितेश कुमार कानि. 64 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी

मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री रितेश कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री विक्रम सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री केशव देव शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवायी जाकर परिवादी के पास पहने हुए परिधान एवं उसके मोवाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे भारतीय मुद्रा के 3,000/-रूपये के नोटों को श्री रितेश कुमार कानि. से परिवादी श्री विक्रम की पहनी हुई शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर उसे हिदायत दी कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा उससे हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे, आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रितेश कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री रितेश कुमार कानि. से आलमारी में रखवाया गया। श्री रितेश कुमार कानि. के दोनों हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री विक्रम सिंह को छोडकर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी श्री विक्रम सिंह को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाले श्री रितेश कुमार कानि. को कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 01.20 पीएम पर श्री गोकुलेश कानि0 454 का मय परिवादी श्री विक्रम सिह के साथ परिवादी की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 203 व श्री राजेन्द्र सिंह कानि0 106 को परसराम की निजी मोटर साईकिल से उनके पीछे पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री हरभान सिह कानि0 591 , श्री विनोद सिंह कानि0 114 ,श्री सुशील कुमार कानि0 557, श्री दिलीप सिह कानि0 610 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स मय सरकारी गाडी टवेरा मय चालक विजय सिंह 339 के ए ई एन कार्यालय जयपुर डिस्कॉम सारस भरतपुर वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 01.35 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा सहायक अभियंता कार्यालय सारस भरतपुर के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने सहायक

अभियंता कार्यालय सारस के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री विनोद सिंह कानि0 , परसराम कानि0 व दिलीप सिंह को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के सहायक अभियंता कार्यालय के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया परिवादी के रिश्वत स्वीकृति के मुर्करर ईशारे का इंतजार करने लगा। तत्पश्चात समय 02.00 पीएम पर परिवादी श्री विक्रम सिंह बिना कोई ईशारा किये कार्यालय सहायक अभियंता कार्यालय सारस भरतपुर से वापस आया जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त किया गया तो वॉईस रिकॉडर्र बन्द अवस्था में है। परिवादी ने बताया कि पवन सिंह तकनीकी सहायक मुझे अन्दर कार्यालय में मिला जिसने मुझसे रिश्वत राशि 3000 रूपये लेने से मना कर दिया तथा विद्युत मीटर को एक दो दिन में लगाने की कहा इस पर परिवादी से प्राप्त वॉईस रिकॉडर्र में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो कोई रिकॉर्ड वार्ता नहीं होना पाई गई इस पर परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैने वॉईस रिकॉडर्र को गले में काले धागे से पहने हुए कपडों के अन्दर लटका लिया था उस समय वॉईस रिकॉड्‌र्र चालू था लेकिन किन्ही कारण वश रिकॉडर्र बन्द हो गया था जिससे मैने व पवन सिंह के मध्य हुई वार्ता रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मय वाहनों के एसीबी चौकी भरतपुर के लिये रवाना हुआ। तत्पश्चात समय 02.20 पीएम इस समय मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स मय सरकारी गाडी टवेरा मय चालक विजय सिंह 339 के सहायक अभियंता कार्यालय के पास सारस भरतपुर से रवाना होकर एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचां जहां श्री रीतेश कुमार कानि0 64 द्वारा रिश्वती राशि 3000 रू को परिवादी श्री विक्रम सिंह की पहनी हुई शर्ट की सामने की जेब से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवा कर कार्यालय के मालखाना में रखवाई गई तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी पवन सिंह तकनीकी सहायक रिश्वत लेने हेतु सम्पर्क करें तो मन अति0 पुलिस अधीक्षक को अवगत करावे एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रवाना किया गया तत्पश्चात दिनांक 28.08.2023 समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री विक्रम सिंह उपस्थित कार्यालय आया जिसने मय प्रार्थना पत्र के अवगत कराया कि पवन सिंह तकनीकी सहायक को किसी कारण वश मेरे उपर शक हो गया है। अब वह मेरे से रिश्वत राशि नहीं मांग रहा है और ना ही लेगा उसने मेरे पिता जी के नाम के विद्युत मीटर को भी किसी प्राईवेट व्यक्ति को भेज कर लगवा दिया है अब वह मेरे से सम्पर्क भी नहीं कर रहा है। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह श्री केशव देव व श्री जसवंत सिंह को जरिये मोबाईल तलब किया। जो तलबिदा उपस्थित कार्यालय आये अतः अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। तत्पश्चात समय 12.50 पीएम पर परिवादी के प्रार्थना पत्र के अनुसार रिश्वत राशि 3000 रूपये को मालखाना से निकलवा कर अग्रिम कार्यवाही की सम्भावना प्रतीत नहीं होने के कारण रिश्वत राशि 3000 रूपये के नोटों पर लगे फिनाफ्थलीन पाउडर को अच्छी तरह साफ करवा जरिये फर्द परिवादी को सुपुर्द किये गये। फर्द सुपुर्दगी नोट पृथक से मूर्तिब की जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई । तत्पश्चात समय 03. 00 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही में काम में ली गई पीतल की सील जिस पर एसीबी वीपीआर (53) लिखा हुआ है को जरिये फर्द नष्ट किया जाकर फर्द की एक प्रति गवाह श्री केशव देव शर्मा को दी गई बाद कार्यवाही दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को बाद समझाइस रूखसत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी पवन सिंह तकनीकी सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जयपुर डिस्कॉम सारस भरतपुर हाल फीडर ईचार्ज ग्राम अघापुर तहसील व जिला भरतपुर द्वारा परिवादी विक्रम सिंह से उसके पिता

जी के नाम महावीर सिंह के नाम जारी शुदा विद्युत मीटर को लगाने की एवज में 5000 रूपये रिश्वत की मांग करना व दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 21.08.2023 को परिवादी से मीटर लगाने की एवज में 3000 रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होना दौराने कार्यवाही दिनांक 22.08.2023 को किसी कारण वश परिवादी के उपर शक होने पर रिश्वत राशि 3000 रूपये नहीं लेना और बाद में परिवादी से रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क नहीं करना आरोपी का उक्त कृत्य जैर दफा 7 पीसी अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया जाने पर आरोपी पवन सिंह तकनीकी सहायक फीडर अघापुर जयपुर डिस्कॉम सारस भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है।

(महेश मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भरतपुर।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पवन कुमार पुत्र श्री संतोष कुमार, तकनीकी सहायक द्वितीय, फीडर अघापुर कार्यालय सहायक अभियंता, जयपुर डिस्कॉम, सारस भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 255/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

21.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः- 2830-33 दिनांक 21.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर।

21.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।